(16)

निगरानी/सागर/भू.रा./2017/2320

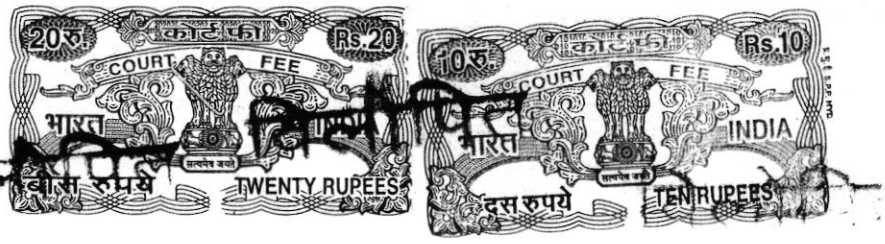

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर ~~केम्प सागर संभाग सागर~~

1– श्रीमति गायत्री उर्फ मंजू त्रिपाठी पत्नि बिजय त्रिपाठी

निबासी– सिविल लाईस सागर , जिला सागर

2– श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि कमलेश कुमार दुबे,

निबासी– गोपालगंज वार्ड सागर, ...आवेदकगण

वनाम

1– घनश्याम पिता सीताराम दुबे (बैद्य)

2– राधेश्याम पिता सीताराम दुबे (बैद्य)

निबासी– ग्राम मैहर , तहसील व जिला सागर

3– श्यामसुंदर दुबे पिता सीताराम दुबे (बैद्य) (मृत), द्वारा वारिसान

अ– श्रीमति सीमा बेवा श्यामसुंदर दुबे,

ब– सोनू उर्फ अनुराग स– कु0 पूनम द– मोनू

सभी के पिता सीताराम दुबे (बैद्य)

4– श्रीमति गीता पत्नि नारायण प्रसाद मिश्रा

निबासी– ग्राम गड़ी, जिला रायसेन म0 प्र0

5– श्रीमति कांति देवी पत्नि चंद्रकांत चौबे

निबासी– लक्ष्मी पुरा वार्ड सागर जिला सागर म0 प्र0

6– श्रीमतिशांति पत्नि रघुबीर ववेले

निबासी– पचकुईया झांसी जिला झांसी उ0 प्र0

.... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा एडवोकेट द्वारा आज दि. 24/7/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-7-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R.V. 24/7/17

R.V.

निगरानी / सागर / भू.रा. / 2017 / 2320

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

श्रीमती गायत्री देवी मिश्र आदि

VS

प्रकरण क्रमांक.................... जिला ....

घनश्याम, राधेश्याम आदि.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/8/18	प्रकरण प्रस्तुत। दिनाँक 27/8/18 को आवेदक अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक अभि० श्री सुनील सिंह जादौन के तर्क सुने गये थे। प्रकरण आदेश हेतु नियत था। (2) मेरे द्वारा निगरानी मैमो व SDO का अन्तरिम आदेश दिनांक 11.07.2017 का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सागर के द्वारा आदेश दिनांक 11.07.2017 से आवेदक गणों का धारा 151 C.P.C. सहपठित धारा 32 म.प्र. भू.रा. संहिता 1959 के अन्तर्गत अस्वीकार किया था, जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है। (3) अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है। यह भी settled सिद्धान्त है कि नामान्तरण से स्वत्व का निर्धारण नहीं है, यह तो Record Updation की प्रक्रिया है। (4) अतः सिविल न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश न होने पर राजस्व न्यायालय अपनी कार्यवाही जारी रख सकता है। अतः SD.O के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने के कारण निगरानी अस्वीकार की जाती है। अनुपस्थित पक्ष को सूचना भेजी जावे। sd/- 28/8/18	